रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243204
CG-DL-E-25012023-243204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944
No. 386] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

(आय-कर)

का.आ. 400(अ).—आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के उपवाक्य (23चड) के *स्पष्टीकरण 1* के उपवाक्य (ग) के उप-उपवाक्य (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, पेंशन फंड अर्थात कैलिफोर्निया पब्लिक एंप्लॉयज रिटारयमेंट सिस्टम (PAN: AAATC6038J), (एतश्मिन् पश्चात जिसे "उक्त निर्धारिती" से संदर्भित किया गया है) को इसके द्वारा भारत में, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख को या उसके पश्चात तथा 23 मार्च, 2024 को या उसके पहले, किए गए पात्र निवेश (एतश्मिन् पश्चात जिसे "उक्त निवेश" से संदर्भित किया गया है) के संबंध में उक्त उपवाक्य के उद्देश्य से "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" के रुप में विनिर्दिष्ट करती है। बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, यथा:

(i) उक्त निर्धारिती को उक्त निवेश के किए जाने की तारीख से लेकर उस तारीख तक जिस तारीख को उक्त निवेश का परिसमापन होता हो, तक की अवध के भीतर आने वाले पिछले सभी सुसंगत वर्षों की आय 'रिटर्न' को उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के अंतर्गत आयकर रिटर्न भरे जाने की विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले-पहले भरना होगा;

(ii) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2घख के उपवाक्य (vi) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त निर्धारिती को ऐसे रिटर्न के साथ-साथ उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान के उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपवाक्य (23चड) के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित फार्म संख्या 10खखग में एक प्रमाण पत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित किसी लेखाकार से प्राप्त किया गया हो, को संलग्न करना होगा;

(iii) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2घख के उपवाक्य (v) के अंतर्गत यथा-अपेक्षित, उक्त निर्धारिती द्वारा किसी तिमाही के दौरान भारत में किए जाने वाले प्रत्येक निवेश का ब्यौरा उस तिमाही के समाप्त होने के एक महीने के भीतर फार्म नं. 10खखख में दिया जाना होगा;

(iv) उक्त निर्धारिती ऐसे निवेश, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपवाक्य (23चड) के अंतर्गत छूट दी जा सकती हो, से संबंधित आय और व्यय का अलग-अलग लेखा रखेगा;

(v) उक्त निर्धारिती का विनियमन कैलिफोर्निया राज्य की सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के अंतर्गत ही होता रहेगा;

(vi) सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, अपंगता, मृत्युपरांत लाभ या इसी प्रकार के अन्य मुआवजे जोकि ऐसे कोष या योजना, जैसी भी स्थिति हो, के भागीदार लाभानुभोगियों के लिए हों, के लिए संस्थापित एक या एक से अधिक कोष या योजना के वैधानिक दायित्व और सुपरिभाषित अंशदान को पूरा करने के लिए ऐसी परिसंपत्ति के संचालन या उसके निवेश की जिम्मेदारी उक्त निर्धारिती पर ही होगी;

(vii) उक्त निर्धारिती के अर्जन और परसंपत्तियों का उपयोग उपर्युक्त उपवाक्य(vi) में संदर्भित कोष या योजना के भागीदारों या लाभानुभोगियों के प्रति वैधानिक दायित्वों और विनिर्दिष्ट अंशदानों को पूरा करने में ही किया जाएगा और ऐसे-ऐसे अर्जन या पेंशनकोष की परिसंपत्ति के कुछ भी हिस्से का लाभ किसी अन्य निजी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। "हालांकि यह बात भारत में निवेश किए जाने से भिन्न अन्य किसी उद्देश्य के लिए किसी ऋण या उधारी उक्त, अधिनियम की धारा 10 के उपवाक्य (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के (उपवाक्य ii) के उप-उपवाक्य (ख) में यथापरिभाषित, के ऋणी या जमाकर्ता को किए जाने वाले किसी भुगतान पर लागू नहीं होगी;

(viii) उक्त निर्धारिती पर भारत में किए जाने वाले ऐसे निवेश के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई भी ऋण या उधारी, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपवाक्य (23चड) के स्पष्टीकरण के उपवाक्य(ii) के उप-उपवाक्य (ख) में यथापरिभाषित, नहीं होनी चाहिए;

(ix) उक्त निर्धारिती निवेशती के दिन प्रतिदिन के प्रकार्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपवाक्य (23 चड) के स्पष्टीकरण 2 के उपवाक्य (i) में यथापरिभाषित, हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन निवेशती में किए गए निवेश की सुरक्षा की दृष्टि से होने वाले मॉनिटरिंग तंत्र, जिसमें कि निदेशकों या अधिशाषी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी शामिल है, को ऐसे निवेशिती के दिन-प्रतिदिन के प्रकार्यों में भागीदारी नहीं माना जाएगा; और

(x) उक्त निर्धारिती के ऐसे निवेशों को, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपवाक्य (23 चड) के उपउपवाक्य(ii) के अंतर्गत जैसा कि अपेक्षित है, कम से कम तीन साल के लिए रखा जाना होगा।

2. उक्त अधिनियम की धारा 10 के उक्त उपवाक्य (23चड) में तथा इस अधिसूचना में यथा-प्रतिपादित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त निर्धारिती कर से छूट पाने का पात्र नहीं रह पाएगा।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में किए जाने वाले अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 02/2023/फा.सं. 500/पीएफ5/एस10(23एफई)/एफटी और टीआर-II-पार्ट(1)]

श्री वत्स सेहरा, अवर सचिव